LETTER HEAD OF COMPANY

RERA Registration No.- UPRERAPRJ6396
UPRERA Website Address:- www.up-rera.in

<u>आवंटन–पत्र</u>

दिनांक : ..../.../........

श्रीमान् / श्रीमती ....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....
पताः..
....
मो.: ....
ईमेलः ....

विषय : लखनउ राय बरैली राजमार्ग, ग्राम–पुरसेनी तहसील– मोहनलालगंज में स्थित इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंतर्गत योजना "EWS- LIG DLF Garden City Lucknow" में फ्लैट संख्या..................,फ्लोर संख्या................., टॉवर / ब्लॉक संख्या .... में आवंटन के सन्दर्भ में ।

महोदय/महोदया जी,

''डी एल एफ'' परिवार का सदस्य बनने पर आपका हार्दिक स्वागत है।

1. हमें आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके आवेदन पत्र संख्या .... दिनांक................. के आधार पर व योजना पर लागू प्रासांगिक कानून व नियमो के अनुसार लॉटरी का दिनांक................. को आयोजन करने के उपरान्त उक्त योजना में फ्लैट संख्या.................,फ्लोर संख्या................., टॉवर / ब्लॉक संख्या .... में जिसका कारपेट एरिया वर्गफीट–................. बिल्टअप एरिया वर्गफीट–................. है (''उक्त फ्लैट'') आपको आवंटित किया जा रहा है। जिसके लिए आपको हार्दिक बधाई।

2. उक्त फ्लैट का आवंटन, आवेदन पत्र/ विक्रय इकरार नामा जो कि आपके साथ निष्पादित होना प्रस्तावित है, के नियमों और शर्तों के अधीन है। आपसे अनुरोध है कि इस फ्लैट के पेटे कुल भुगतान योग्य राशि रु. .... है जिसमें पी. एल. सी. शुल्क रु. .... सम्मिलित है। उसमें से आपके द्वारा राशि रु.................. /– आवेदन के समय जमा करवा दी गई थी। इस पत्र की तिथि तक आवेदन पत्र में उल्लेखित टाइम लिंक्ड पेंमेंट प्लान/ डाउन पेंमेंट प्लान के अनुसार रु.................. /– की राशि संलग्न पत्र में दी गई अनुसूची के अनुसार देय है। कृप्या करके उक्त राशि का भुगतान अनुसुची में दी गयी समयसीमा के अनुसार करने का कष्ट करें। समय पर भुगतान ना करने की दशा में कंपनी देय मांग पर रेरा अधिनियमों के अंतर्गत ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी होगी।

3. फ्लैट का आवंटन लीजहोल्ड के आधार पर किया जा रहा है। आवंटन की तिथि से 05 वर्षो अथवा देय लागत जमा करने की तिथि जो भी बाद में हो, तक आवंटित फ्लैट के विक्रय / हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध रहेगा। 05 वर्ष के पश्चात् वह फ्री होल्ड माना जाएगा। जिसके सम्बन्ध मे आवास एवं विकास परिषद् द्वारा फ्री होल्ड परिवर्तन का औपचारिक आदेश 1 माह के अन्दर जारी किया जाएगा।

4. आवंटी को रेरा अधिनियमों के अनुसार प्रमोटर की मांग पर निर्धारित समय में, विक्रय इकरारनामे के निष्पादन एवं पंजीकरण के लिए प्रस्तुत होना होगा। यदि आवंटी निष्पादन और पंजीकरण आदि के लिए निर्धारित समय पर प्रस्तुत होने में विफल रहता है तो प्रमोटर आवंटन रद्द कर देगा और इस दशा में आवंटी द्वारा जमा की गई राशि आवंटन रद्द करने की तिथि से 30 दिन के भीतर लौटा दी जायेगी।

LETTER HEAD OF COMPANY

RERA Registration No.- UPRERAPRJ6396
UPRERA Website Address:- www.up-rera.in

5. यदि आवंटी द्वारा आवंटित फ्लैट के क्रय हेतु किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण की सुविधा ली जाती है तो उस दशा में निम्नलिखित नियम लागू होंगे :–

(अ) इस संबंध में संबंधित बैंक/ऋणदाता संस्था आदि द्वारा लागू समस्त नियम एवं शर्तें सिर्फ आवंटी के लिये ही लागू एवं बाध्यकारी होंगी।

(ब) ऋण स्वीकृति एवं ऋण अदायगी (डिस्बर्स्मेन्ट) की समस्त जिम्मेदारी केवल आवंटी की ही होगी। इस संबंध में ऋण–अनुबंध में दी गई भुगतान–सारणी के अनुसार समय पर भुगतान किया जायेगा।

(स) ऋण राशि स्वीकृत नही होने की दशा में अथवा ऋण अदायगी में देरी होने पर (चाहे किसी भी कारणवश हो), जिसमें प्रक्रियात्मक विलंब भी शामिल है, प्रमोटर को तय समय पर भुगतान करना आवंटी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। आवंटी को ऋण की स्वीकृति/अदायगी न होने पर या किसी भी परिस्थिति में संलग्न अनुसूची के अनुसार भुगतान न करने पर, प्रमोटर को आवंटन रद्द करने का अधिकार होगा व रेरा के अधिनियम व नियमों के अनुसार आवंटी द्वारा जमा की गई राशि लौटा दी जाएगी।

6. आवंटी प्रमोटर के सूचित किये जाने पर निर्धारित समयावधि में विक्रय विलेख/ लीज डीड के निष्पादन हेतु प्रस्तुत होगा ऐसा ना करने की दशा में प्रमोटर को आवंटन रद्द करने का अधिकार होगा एवं इस दशा में बुकिंग राशि (फ्लैट की कुल लागत का 10%) घटाकर आवंटी द्वारा भुगतान की गई शेष राशि आवंटन रद्द करने की तिथि से 45 दिनो के भीतर लौटा दी जावेगी।

7. योजना के कॉमन एरिया एण्ड फैसिलिटीज के उपयोग, देखभाल व सम्मिलित सेवाओं के प्रयोग तथा रख रखाव के लिए आवंटी को आवंटियों के संघ (एसोसिएशन) का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। एसोसिएशन के नियमो का पालन करना एवं रख रखाव हेतु निर्धारित शुल्क का समय समय पर भुगतान करना अनिवार्य होगा।

8. आवंटन पत्र की ऑफिस कॉपी पर हस्ताक्षर करके, बकाया दस्तावेजों के साथ अतिशीघ्र कम्पनी कार्यालय में 15 दिवस में जमा करवाने का कष्ट करें ताकि आवंटन हेतु कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

9. सूचित रहे कि कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को उक्त आवंटन से सम्बन्धित भुगतान न करें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:.................. (संबंधित व्यक्ति का नाम), मो.नं.: ....

धन्यवाद,

वास्तेः ....

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)